भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 9**

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया गया

**किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की राशि**

9. श्री विशालदादा प्रकाशबाबू पाटील:
श्री बैन्नी बेहनन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अब तक वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना बजटीय आबंटन किया गया और कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) विगत 5 वर्षों में केसीसी योजना के अंतर्गत वर्ष-वार कुल बकाया ऋण राशि कितनी है; और

(ड.) क्या सरकार केसीसी योजना के अंतर्गत बढ़ती कुल बकाया राशि को कम करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

**(क) से (ड.):** उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) की कुल संख्या का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत बजट आबंटन और निधियों के संवितरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

| क्रम सं. | वर्ष | बजट आबंटन | निधियों का संवितरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 16236.86 | 16218.75 |
| 2 | 2020-21 | 19831.75 | 17789.72 |
| 3 | 2021-22 | 21476.93 | 21476.93 |
| 4 | 2022-23 | 19700.00 | 17997.88 |
| 5 | 2023-24 | 18500.00 | 14251.92 |

पिछले 5 वर्षों में केसीसी योजना के तहत कुल बकाया ऋण राशि निम्नानुसार है:

| वर्ष | ऑपरेटिव खातों में बकाया कुल राशि करोड़ में |
|---|---|
| 2019-20 | 6,97,018 |
| 2020-21 | 7,53,133 |
| 2021-22 | 9,37,612 |
| 2022-23 | 8,85,921 |
| 2023-24 | 9,81,764 |

आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, किसानों को केसीसी के नवीकरण के समय ब्याज और मूलधन दोनों का भुगतान करना होता है। केसीसी के ऑपरेटिव खातों में बकाया राशि के समय पर पुनर्भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को 3% की ब्याज छूट शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 22.7.2024 को लोक सभा में उत्तर देने हेतु "किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की राशि" के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (ड.) में संदर्भित विवरण**

| क्रम सं. | राज्य | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार | 269 | 1,190 | 1,099 | 508 | 12,767 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 9,88,893 | 5,87,158 | 6,53,555 | 6,79,777 | 7,16,670 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 2,199 | 701 | 2,302 | 2,098 | 5,075 |
| 4 | असम | 2,78,619 | 41,108 | 65,353 | 64,813 | 1,45,563 |
| 5 | बिहार | 2,30,398 | 91,905 | 1,24,124 | 1,03,408 | 1,61,942 |
| 6 | चण्डीगढ़ | 765 | 334 | 294 | 287 | 462 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 3,11,321 | 1,44,578 | 1,11,444 | 3,06,195 | 1,64,183 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 79 | 377 | 878 | 393 | 218 |
| 9 | दमन एवं दीव | 22 | | | | |
| 10 | दिल्ली | 1,498 | 368 | 538 | 651 | 1,833 |
| 11 | गोवा | 2,784 | 2,019 | 1,356 | 3,378 | 2,095 |
| 12 | गुजरात | 3,38,716 | 3,55,699 | 3,02,541 | 3,76,241 | 3,49,448 |
| 13 | हरियाणा | 2,30,386 | 1,56,148 | 2,05,971 | 2,22,170 | 2,16,842 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 69,856 | 53,468 | 58,975 | 74,149 | 1,28,253 |
| 15 | जम्मू एवं कश्मीर | 3,67,826 | 49,151 | 73,246 | 44,231 | 2,21,151 |
| 16 | झारखंड | 2,03,222 | 62,664 | 1,26,469 | 1,90,419 | 66,542 |
| 17 | कर्नाटक | 8,08,694 | 9,17,530 | 6,76,701 | 10,23,601 | 10,63,492 |
| 18 | केरल | 3,57,131 | 5,99,728 | 6,28,630 | 9,19,680 | 12,04,136 |
| 19 | लद्दाख | - | 102 | 17,379 | 1,005 | 615 |
| 20 | लक्षद्वीप | 58 | 159 | 622 | 3,834 | 6,477 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 5,57,059 | 3,57,290 | 3,74,448 | 5,76,515 | 4,12,725 |
| 22 | महाराष्ट्र | 6,95,628 | 10,62,692 | 7,29,727 | 7,13,375 | 5,44,280 |
| 23 | मणिपुर | 2,964 | 3,730 | 3,273 | 4,013 | 1,786 |
| 24 | मेघालय | 12,244 | 6,965 | 12,916 | 13,006 | 17,485 |
| 25 | मिजोरम | 4,719 | 8,295 | 7,404 | 8,231 | 15,569 |
| 26 | नागालैण्ड | 8,312 | 1,895 | 5,218 | 10,040 | 8,495 |
| 27 | उड़ीसा | 3,14,733 | 1,63,963 | 1,36,817 | 1,79,862 | 1,91,597 |
| 28 | पुदुचेरी | 1,699 | 3,908 | 5,245 | 7,749 | 16,180 |
| 29 | पंजाब | 2,82,311 | 1,54,222 | 2,28,445 | 3,07,134 | 2,59,427 |
| 30 | राजस्थान | 10,30,272 | 10,13,048 | 5,43,638 | 6,61,477 | 6,42,111 |
| 31 | सिक्किम | 1,743 | 782 | 1,709 | 2,825 | 41,494 |
| 32 | तमिलनाडु | 3,81,302 | 4,24,247 | 7,20,158 | 9,68,967 | 11,67,822 |
| 33 | तेलंगाना | 6,61,450 | 3,78,865 | 4,60,656 | 5,41,431 | 7,22,352 |
| 34 | त्रिपुरा | 95,687 | 44,245 | 4,204 | 15,967 | 4,55,459 |
| 35 | उत्तराखंड | 1,00,556 | 58,224 | 43,379 | 1,04,218 | 76,350 |
| 36 | उत्तर प्रदेश | 20,25,254 | 11,07,867 | 9,84,679 | 13,92,338 | 15,06,254 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 5,22,877 | 3,71,535 | 1,64,733 | 1,99,581 | 1,60,118 |
| **कुल** | | **1,08,91,546** | **82,26,160** | **74,78,126** | **97,23,567** | **1,07,07,268** |

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंकड़े अनंतिम